छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 224/2009

1. श्री देवेन्द्र दानी, – अपीलार्थी
प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ,
धमधा, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, – प्रति अपीलार्थी
कार्यालय जिला खनिज अधिकारी,
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 17 अगस्त, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री देवेन्द्र दानी द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला खनिज अधिकारी, जिला–दुर्ग के समक्ष दिनांक 24.06.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 17.09.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील पर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 21.10.2008 को आदेश पारित कर जन सूचना अधिकारी को भविष्य हेतु सचेत करते हुए समस्त जानकारी 15 दिवस के अन्दर निःशुल्क देने के निर्देश दिये, किन्तु उसके बाद भी उन्हें पूर्ण जानकारी नहीं मिलने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 07.01.2009 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में अपीलार्थी ने पहले तो अपूर्ण एवं असत्यापित जानकारी मिलना बताया, तत्पश्चात् सात दिवस में सत्यापित जानकारी देने एवं शेष जानकारी 15 दिवस में निःशुल्क देने के आदेश जारी किये गये और अपूर्ण जानकारी के लिए जन सूचना अधिकारी को पॉच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 27.06.2009 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में मौखिक तर्क में यह बताया गया कि चूंकि चेक पोस्ट पर रायल्टी जमा नहीं होती है, अतः आवेदन अस्पष्ट होने से जानकारी नहीं दी जा सकेगी, अतः आयोग द्वारा निर्देश दिये गये थे कि पथरिया पत्थर खदान की जिला कार्यालय में जमा रायल्टी की जानकारी 15 दिवस में निःशुल्क दी जावे। अंतिम सुनवाई दिनांक को अपीलार्थी ने बताया कि उन्हें पूर्ण जानकारी मिल गई है। प्रति अपीलार्थी की ओर से अंतिम सुनवाई दिनांक को कोई उपस्थित नहीं था, अतः उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण में प्रस्तुत कारण बताओ सूचना पत्र के उत्तर में चेक पोस्ट से जानकारी प्राप्त करने में विलंब होना बताया गया है और प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के बाद जानकारी समयावधि में देना बताया गया। चूंकि पथरिया पत्थर खदान के बारे में अस्पष्टता के कारण अपूर्ण जानकारी दी गई थी, अतः उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर संतोषप्रद मान्य किया जाकर दोषी नहीं पाते हुए जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है। प्रकरण में विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए विभाग की ओर से धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 400/– रूपये प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com